

5-22

वादी की ओर से वकील श्री बंशीधर बाज्या ने यह दावा न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06.06.2022 को पेश हों।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
दांतारामगढ़ जिला सीकर

6.6.22

पत्रावली प्रस्ताव / वकील / वकूला  
पीठाधीन न्यायालय / डा. प्रकाश  
पर है। दिनांक 27.7.22

5 7/22

पत्रावली करीबन वादी के खिलाफ तलब की  
आवेदन पर देखा हुई। वादी के प्रार्थना पत्र  
प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी को  
प्रतिवादीगण के मध्य काइसी रूप से  
रात्रीनामा हो चुका है दावे को दावे नहीं  
चलाना चाहते हैं बल्कि दावा विद्रा किया  
जाये। वादी की परामर्श करीबन वादी  
की कर्मीधर बाज्या द्वारा की गई।  
पत्रावली में आवेदन स्वीकार कर दावा  
विद्रा करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली  
के लान शुभान होकर नमोदा के रूप में

Post Press

फर  
CP

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)  
दांतारामगढ़ (सीकर)